11.12022 आवेदक सुशील कुगार जैन पिता सतन लाल जैन, साक्रिन-स्टेशन रोड युगरी तिलेग, भोरत-युगरी तिलेग, थान-तिलेग प्राप्त करें, साक्रिन-स्टेशन रोड युगरी तिलेग, भोरत-युगरी तिलेग, थान-तिलेग प्राप्त करें, साक्रिन-स्टेशन रोड युगरी तिलेग, भेरत-युगरी तिलेग, थान-तिलेग प्राप्त करें, साक्रिन-स्टेशन रोड युगरी तिलेग, भेरत-युगरी तिलेग, थान-तिलेग प्राप्त करें, साथ करें, साथ किन-संटेशन रोड युगरी तिलेग, येत्रा गया है- भोरत-युगरी तिलेग, थान-तिलेग किंग पता स्वान लाल जैन, साक्रिन-स्टेशन रोड युगरी तिलेग, पोरत-युगरी तिलेग, थान-तिलेग प्राप्त कराए एवं जॉय तिलेग रात्तिक के पायत है । भोरा थान-तिलेग पत्र छल्का राजस्य उप निरीधक को एस्तगत कराए एवं जॉय प्रतिवेदन अंचल निरीधक के माध्यम से प्राप्त करें । साथ छी आग इस्तहार निर्मात करा। अनिलेख दिनांक
गृति सत्यापन अभिलेख संठ
गृति सत्यापन अभिलेख संठ
2411.2022 आवेदक सुशील कुगार जैन पिता सन लाल जैन, साकिन-स्टेशन रोड़ झुमरी तिलेया, पोरट-झुमरी तिलेया, थाना-तिलेया, जिला-कोडरमा, द्वारा निग्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन निया गया है गोणा थाना नं0 खाता संo प्लॉट संo रकया किस्म निया गया है गोणा थाना नं0 खाता संo प्लॉट संo रकया किस्म निया गोणा थाना नं0 खाता संo प्लॉट संo रकया किस्म निया गोणा थाना नं0 खाता संo प्लॉट संo रकया किस्म निया गोणा थाना नं0 खाता संo प्लॉट संo रकया किस्म गोणा थाना नं0 खाता संo प्लॉट संo रकया किस्म गोरा 214 827 7541 0.75 डी0 रैयती अतः गूल आवेदन पत्र छल्का राजरव उप निरीक्षक को छरतात कराए एवं जॉव प्रातिवेदा प्रात अंदल जीव करे। अतिलेख दिनांक
गोणा थागा गं० खाता सं० प्लौट सं० रकया किस्म तिलेया 244 827 7541 0.75 डी0 रैयती अतः मूल आवेदन पत्र इल्का राजरव उप निरीक्षक को इरतगत कराए एवं जॉव प्रतियेवन अंचल निरीक्षक के माघ्यम से प्राप्त करें। साथ छी आम इरतदागत कराए एवं जॉव प्रतियेवन अंचल निरीक्षक के माघ्यम से प्राप्त करें। साथ छी आम इरतदागर करें। अभिलेख दिनांक///.2022 को प्रस्तुत करें। अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख उपस्थापित। कंचल राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतियेदित किया गया है कि मोजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-827, प्लॉट सं०-7541, रकवा-0.75 डी0 पूर्यि सुशील कुमार जैन पिता रतन लाल जैन के नाम से पंजी–11 के पूछ सं०-03 मान सं०-48 पर ऑनलाइन जमावन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में वाठ खा0 वाद सं०-1204/2013-14 दर्ज है। उत्त भूमि केवाला सं०-4667/2013-14 द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि रेवती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। प्राध्य पत्र सं०-95 दिनांक 03.08.2022 (नोटरी पब्लिक, कोदयम) को मल पति संलग् किया गया मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-827, प्लॉट
तिलेगा 244 827 7541 0.75 डी0 रैयती आतः गूल आवेदन पत्र छल्का राजरव उप निरीक्षक को छरतगत कराए एवं जाँव प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ छी आम इस्तहार निर्मत करे। अभिलेख दिनांक///2022 को प्रस्तुत करें। अभिलेख उपरथापित। अभिलेख उपरथापित। अगि उत्त उपरिता पात्त निर्वा के दारा जापति नहीं की गयी है। इल्का राजस्व एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जापति नहीं की गयी है। इल्का राजस्व उपनिर्धाक के नंत नंत ता संच न्यता संच-2027. ख तक निर्दा दांव क
प्रतियेदन अंचल निरोधाक के माध्यम से प्राप्त करे। साथ ठा जान यर्सकर से अभिलेख दिनांक/
b1:12:2022 अभिलेख उपस्थापित। o3:12:2022 आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किंसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। scean राजस्य उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–तिलैया, थाना नं0–244, खाता सं0–827, प्लॉट सं0–7541, रकवा–0.75 डीo भूमि सुशील कुमार जैन पिता रतन लाल जैन के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0–03 भाग सं0–48 पर ऑनलाइन जमावन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा0 खा0 वाद सं0–1204/2013–14 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं0–4067/2013–14 द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष–2022–23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं0–95 दिनांक 03.08.2022 (नोटरी पब्लिक, कोइरमा) की मल प्रति संलग्न किया गया मौजा–तिलैया, थाना नं0–244, खाता सं0–827, प्लॉट
सोठराग का पूरा का प्राय सं0-7541, रकवा-0.75 डी० भूमि निवंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है। अतः राजस्य उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-तिलैया, थाना नं0-244, खाता सं0-827, प्लॉट सं0-7541, रकवा-0.75 डी० भूमि निवंधन योग्य है। यद्यपि निवंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा। जनाज्य अंचल अधिकारी, कोडरमा